संख्या-28/2024/948 /78-2-2024-ई-1676497

प्रेषक,

राधेश्याम,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

राज्य समन्वयक,
सीईजी,
गोमतीनगर, लखनऊ।

आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2 लखनऊ:दिनांक: 29 जुलाई,2024

विषय:- परिवार कल्याण योजना हेतु किये गये कार्यो के सापेक्ष धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-सीईजी/पी/164/391/2024 दिनांक 09-01-2024 एवं पत्र संख्या-सीईजी/पी/164/I/19/2024 दिनांक 16-04-2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त पत्र संख्या-सीईजी/पी/164/391/2024 दिनांक 09-01-2024 के माध्यम से वित्तीय वर्ष-2022-23 में परिवार कल्याण योजनान्तर्गत कार्यरत जनशक्ति, लैपटाप, सिक्योरिटी ऑडिट एवं एसएमएस सेवा के सापेक्ष सीईजी द्वारा अपने संसाधनो से व्यय की गयी धनराशि रू0-23,45,674.00 की प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष-2023-24 के आय-व्ययक अनुदान संख्या-007 के अन्तर्गत लेखा शीर्ष 2852- उद्योग- 80- सामान्य-800 अन्य व्यय-11- उत्तर प्रदेश ई-गवर्नेन्स एक्शन प्लान-42-अन्य व्यय के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0-2550.00 लाख में से अवमुक्त करने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

इस सम्बन्ध में यह कहना है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 समाप्त हो चुका है, अब धनराशि रू0-23,45,674.00 बिते हुए वर्ष में प्राविधानित धनराशि से निर्गत किये जाने का अवसर नहीं पाया गया है।

3- पत्र संख्या-सीईजी/पी/164/I/19/2024 दिनांक 16-04-2024 के माध्यम से यह अवगत कराते हुए कि ''वित्तीय वर्ष-2024-25 में इस योजना में नियमानुसार अनुमन्य समस्त कार्यवाही एवं व्ययों का वहन नियोजन विभाग के स्तर से किया जायेगा'', परिवार कल्याण योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष-2023-24 में किये गये बजट प्राविधान के सापेक्ष क्रय किये गये हार्डवेयर/ साफ्टवेयर एवं सहवर्ती उपकरणों के सम्बन्ध में स्पष्ट निर्देश निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

अवगत कराना है कि फैमिली आइडी के सम्बन्ध में आईटी एवं इले0 विभाग के शासनादेश दिनांक 30-03-2024 द्वारा निर्गत धनराशि रू0-1924.48434 लाख की वित्तीय स्वीकृति के आदेश में उक्त धनराशि के व्यय किये जाने की समय सीमा दिनांक 31-03-2024 निर्धारित

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

थी। चूंकि वित्तीय वर्ष 2023-24, दिनांक 31-03-2024 को समाप्त हो चुका है। अत: लेखाशीर्ष 2852- उद्योग- 80- सामान्य-800 अन्य व्यय-11- उत्तर प्रदेश ई-गवर्नेन्स एक्शन प्लान-42-अन्य व्यय मद से वित्तीय वर्ष 2023-24 में शासनादेश दिनांक 30.03.2024 द्वारा निर्गत धनराशि रू0-1924.48434 लाख के सापेक्ष आहरित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2023-24 की समाप्ति पर अव्ययित अवशेष धनराशि रू0-1924.48434 लाख ब्याज सहित राजकोष में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।

कृपया उपर्युक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
राधेश्याम
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.g

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।